

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 26.02.2013

निर्णीत: 07.11.2013

ले.पे.अ. 976/2002

भारत संघ

..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री बी.वी. निरेन, कें.स.स्था.अधि. सह श्री प्रसूक जैन, अधिवक्ता।

बनाम

मैसर्स सिनबायोटिक्स लिमिटेड और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री विभु बाखरू, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री प्रवीण बहादुर, सुश्री मल्लिका जोशी, श्री मोहित मुद्गल, श्री अमित अग्रवाल और श्री राजन नारायण, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट

1. वर्तमान अपील में केंद्र सरकार (जिसे इस प्रकार या “संघ सरकार” के रूप में वर्णित किया गया है) द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश

को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) 1979 के संदर्भ में की गई माँग को चुनौती देने वाली प्रत्यर्थागण की रिट याचिका को अनुमति दी गई थी।

2. प्रत्यर्थी सं. 1 स्ट्रेप्टोमाइसिन सहित विभिन्न औषधियों और भेषजिक उत्पादों का निर्माता है और प्रत्यर्थी सं. 2 इसका निदेशक है। प्रत्यर्थागण ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रतिवाद दिया कि इस तरह की बल्क औषधि के निर्माता को अपने उत्पाद को केवल पूलित मूल्य पर बेचने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, न कि कम मूल्य पर। इसने यह भी तर्क दिया कि बल्क औषधियों के निर्माता के रूप में उसे औषधि मूल्य समकारी खाते में अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, जो पूलित मूल्य और प्रतिधारण मूल्य के बीच का अंतर है, विशेषकर तब जब निर्माता द्वारा बल्क औषधि को प्रतिधारण मूल्य पर बेचने पर ऐसी अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं होती है।

3. डीपीसीओ के खंड 3 ने केंद्र सरकार को प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट स्वदेशी रूप से निर्मित बल्क औषधि के न्यायसंगत वितरण को विनियमित करने और इसे नियम 3(2) के अधीन उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा कि उचित समझा जाए, ".....समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह

अधिकतम मूल्य तय करे, जिस पर ऐसी बल्क औषधि बेची जाएगी”

नियम 3 (2) में कहा गया है कि बल्क औषधि के मूल्य तय करते समय, सरकार “एक कुशल निर्माता द्वारा निर्मित ऐसी बल्क औषधि की उत्पादन की औसत लागत को ध्यान में रख सकती है और निवल संपत्ति पर उचित रिटर्न की अनुमति दे सकती है।” खंड 4 में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह खंड 3 के होते हुए भी, यदि वह प्रथम या द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत स्वदेशी रूप से निर्मित बल्क औषधियों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक समझे, तो (क) बल्क औषधि के लिए प्रतिधारण मूल्य और (ख) खंड (क) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिधारण मूल्य के भारित औसत को ध्यान में रखते हुए ऐसी बल्क औषधि के लिए सामान्य विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकती है। खंड 7 में कहा गया है कि जहाँ कोई बल्क औषधि स्वदेश में निर्मित होने के साथ-साथ आयातित भी होती है, वहाँ केंद्र सरकार आवश्यक समायोजन करने के बाद, “(क) ऐसी बल्क औषधियों के व्यक्तिगत निर्माताओं, आयातकों या वितरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य” या (ख) “ऐसी बल्क औषधियों के विक्रय के लिए पूलित मूल्य” तय कर सकती है। खंड 7 (2) निम्नानुसार है:

“(2) जहाँ कोई विनिर्माता अपने निर्माताओं में किसी बल्क औषधि का उपयोग करता है, चाहे वह उसके स्वयं के उत्पादन से हो या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हो, और ऐसी बल्क औषधि का मूल्य उसके निर्माताओं के मूल्य में उसे दिए गए मूल्य से कम हो, तो सरकार ऐसे निर्माता से यह अपेक्षा करेगी कि -

(क) वह पैराग्राफ 17 में निर्दिष्ट औषधि मूल्य समकारी खाते में सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अतिरिक्त राशि जमा करे; या

(ख) वह फॉर्मूलेशन को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचे..।”

4. 02.04.1979 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए पूलित मूल्य तथा रिट याचीगण (यहाँ प्रत्यर्थीगण) और अन्य निर्माताओं के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारित किया। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए पूलित मूल्य 475 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया तथा प्रथम प्रत्यर्थी के लिए प्रतिधारण मूल्य 449.71 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अन्य निर्माताओं के लिए 498 रुपये निर्धारित किया गया। केंद्र सरकार ने दिनांक 19.11.1979 के परिपत्र द्वारा औषधियों और भेषजिक निर्माताओं से प्राप्त अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त जानकारी की माँग की थी, ताकि इनपुट सामग्रियों, विशेष रूप से पेट्रोलियम आधारित उत्पादों की कीमतों में तेज़ी से हुई वृद्धि की भरपाई के लिए बल्क औषधि और फॉर्मूलेशन के मूल्य में तत्काल वृद्धि की अनुमति दी जा सके। प्रत्यर्थीगण द्वारा यह दावा किया गया था कि 01.07.1979 से उन्होंने अपने द्वारा निर्मित सभी स्ट्रेप्टोमाइसिन को अंबालाल साराभाई के एक प्रभाग मैसर्स साराभाई केमिकल्स को 449.71 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना शुरू कर दिया था, जो कि 02.04.1979 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थीगण को दिया गया प्रतिधारण मूल्य था। साराभाई केमिकल्स ने

मैसर्स सिंबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए उक्त स्ट्रेप्टोमाइसिन से फॉर्मूलेशन का निर्माण किया। 10.06.1980 को केंद्र सरकार ने प्रत्यर्थीगण - मैसर्स सिंबायोटिक्स लिमिटेड को उक्त आदेश के प्रारंभ होने के बाद उसके द्वारा बेचे गए स्ट्रेप्टोमाइसिन के संपूर्ण उत्पादन पर 25.29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गणना की गई राशि औषधि मूल्य समकारी खाते में जमा करने के लिए कहा। मैसर्स सिंबायोटिक्स लिमिटेड की ओर से तर्क-वितर्क करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया कि चूँकि उसके द्वारा कोई अतिरिक्त राशि एकत्र नहीं की गई थी, इसलिए औषधि मूल्य समकारी खाते में कुछ भी भुगतान नहीं किया जाना था। दिनांक 06.10.1980 को उक्त आदेश के पैराग्राफ 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने प्रत्यर्थीगण [मैसर्स सिंबायोटिक्स लिमिटेड] के प्रतिधारण मूल्य को 449.71 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 429.00 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। दूसरी ओर, स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूलित मूल्य 475 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 660 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया। वहीं, अन्य निर्माताओं के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रतिधारण मूल्य 498 रुपये से बढ़ाकर 660.75 रुपये कर दिया गया, ताकि यह पूलित मूल्य के बराबर हो जाए।

5. 29 नवंबर, 1980 को पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने याचिकाकर्ता सं. 1 (वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी सं. 1) को दो पत्र/आदेश भेजे, जिसमें कहा गया कि अक्टूबर, 1980 में याचिकाकर्ता सं. 1 को 01.07.1979

से 06.10.1980 की अवधि के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को 475/- रुपये प्रति किलोग्राम के पूलित मूल्य पर बेचने की आवश्यकता थी, जब पूलित मूल्य को संशोधित कर 660.75/- रुपये कर दिया गया था। संघ की स्थिति यह थी कि 449.71 रुपये प्रति किलोग्राम के प्रतिधारण मूल्य पर स्ट्रेप्टोमाइसिन बेचने में प्रत्यर्थागण की कार्रवाई बिना औचित्य के थी। परिणामस्वरूप, उससे यह माँग की गई कि वह पूलित मूल्य और प्रतिधारण मूल्य के बीच के अंतर को औषधि मूल्य समकारी खाते में जमा कराए। इन्हीं परिस्थितियों के कारण रिट याचिका दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्र सरकार की माँग असंधार्य है। केंद्र सरकार ने उस निर्णय के विरुद्ध अपील की है।

6. अपीलार्थी - केंद्र सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 [इसके पश्चात् "डीपीसीओ" के रूप में संदर्भित] की व्याख्या करने में त्रुटि की है। इस संदर्भ में आग्रह किया गया है कि योजना के अंतर्गत यह आवश्यक था कि "पूलित मूल्य" वह आधार हो जिस पर बल्क औषधि को बाज़ार में बेची जानी थी या जिसे निर्माता प्राप्त कर सकता था। दूसरी ओर, "प्रतिधारण मूल्य" वह मूल्य था जिस पर वह फ़ॉर्मूलेशन के निर्माण के लिए बल्क औषधि को खुदरा तौर पर बेच सकता था, यदि वह फ़ॉर्मूलेटर भी हो। बाद वाला, अर्थात् प्रतिधारण मूल्य, उत्पादन की वापसी योग्य लागत के आधार पर निर्धारित किया गया था। डीपीसीओ की खंड

17 के अंतर्गत औषधि मूल्य समकारी खाता बनाने का उद्देश्य यह था कि यदि पूलित मूल्य, प्रतिधारण मूल्य से अधिक हो, तो दोनों के बीच का अंतर निर्माता द्वारा खाते में जमा किया जाना था और यदि इसके विपरीत स्थिति हो, तो निर्माता को खाते से प्रतिपूर्ति की जानी थी। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वस्तुओं की उचित लागत सुनिश्चित करने तथा आवश्यक उत्पादों में एकाधिकार से बचने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है।

7. प्रस्तुतीकरण पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री बी.वी. निरेन ने आग्रह किया कि यदि संसाधनों तक पहुँच वाला कोई आयातक या निर्माता, कुछ समय के लिए यह सुनिश्चित करने की स्थिति में है कि उत्पादन की लागत प्रतिस्पर्धियों, जो छोटे या नए निर्माता हो सकते हैं, की तुलना में कम है, तो पूर्व के मामले में प्रतिधारण मूल्य स्वाभाविक रूप से कम होगा। दूसरी ओर, पूलित मूल्य एक ऐसी अवधारणा थी जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बल्क औषधियाँ एक समान और उपयुक्त मूल्य पर बेची जाएँ। यदि नई या छोटी इकाइयों का प्रतिधारण मूल्य पूलित मूल्य से अधिक हुआ तो उन्हें बाज़ार से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी और परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा और व्यापक सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचेगा। परिणामस्वरूप, औषधि मूल्य समकारी खाते ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसी परिस्थितियों से निपटा जाए, तथा छोटी या नई इकाइयों को खाते से अंतर की प्रतिपूर्ति की जाए, जिसे सभी संबंधित

पक्षकारगण द्वारा जमा किया जाना था। दूसरे शब्दों में, यह व्यवस्था लाभ और प्रतिकर के साथ-साथ हतोत्साहित करने वाली भी थी। इस हतोत्साहन का उद्देश्य बड़े निर्माताओं को एकाधिकार प्राप्त करने के लिए संकेतित पूलित मूल्य से कम पर विक्रय करने से रोकना था; इसका लाभ छोटे या नए निर्माताओं और बाज़ार में नए प्रवेशकों को मिलना था, जो अन्यथा पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होते, जिससे अवांछनीय एकाधिकार की स्थिति पैदा होती।

8. यह प्रस्तुत किया गया कि एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित कर त्रुटि की कि डीपीसीओ ने निर्माता द्वारा बल्क औषधि को पूलित मूल्य पर नहीं बल्कि प्रतिधारण मूल्य पर बेचने के मामले में अंतर की राशि जमा करने का आदेश नहीं दिया। इस संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया कि खंड 17(क) (ii) पूलित मूल्य पर किए जा रहे विक्रय से स्वतंत्र है। पूलित मूल्य और प्रतिधारण मूल्य के बीच का अंतर अनिवार्य रूप से खाते में जमा किया जाना था, भले ही बल्क औषधि जिस भी मूल्य पर बेची गई हो। दूसरे शब्दों में, बड़े निर्माता की बल्क औषधि को लागत या प्रतिधारण मूल्य पर और पूलित मूल्य से कम दरों पर बेचने की क्षमता एक अप्रासंगिक कारक थी; यदि प्रतिधारण मूल्य पूलित मूल्य से कम था, तो निर्माता को खाते में अंतर जमा करना था।

9. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित कर त्रुटि की कि केंद्र सरकार, निर्माता मैसर्स अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज़ पर

अंतर अधिरोपित करने के लिए डीपीसीओ के पैरा 7(2) को लागू करने के लिए बाध्य थी। यह कहने के लिए पैरा 17(1)(क)(ii) पर भरोसा किया गया कि पूलित मूल्य और प्रतिधारण मूल्य के बीच के अंतर को औषधि के विक्रेता द्वारा खाते में वहन किया जाना है।

10. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश की खोज और निष्कर्ष सही हैं और उनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि डीपीसीओ के पैरा 7(2)(क) को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह औषधि के फॉर्मूलेटर पर लागू होता है। जब उपबंध स्वयं स्पष्ट है, तो केंद्र सरकार द्वारा की जाने वाली व्याख्या यह है कि वास्तविक विक्रय पर ध्यान दिए बिना, बल्क औषधि निर्माता, जैसे कि प्रत्यर्थी, को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, न कि फॉर्मूलेटर को, जो कि गुणागुण रहित है। यह तर्क दिया गया कि इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा खंड 17(1)(क)(ii) का संदर्भ यह कहने के लिए कि प्रत्यर्थी जैसे बल्क औषधि निर्माता को खंड 7(2) के अंतर्गत औषधि निर्माता की देयता से अधिक उत्तरदायी बनाया जाना है, विधि द्वारा अधिकृत नहीं किए गए कर को अनुचित रूप से लगाने के समान होगा।

11. विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद दिया कि यदि वास्तव में बड़े बल्क औषधि निर्माताओं के मूल्यों को नियंत्रित करने और प्रतिस्पर्धियों को बाहर निकालने की क्षमता के संबंध में केंद्र सरकार का प्रतिविरोध सही है, तो तथ्य

यह है कि फॉर्मूलेटर द्वारा ऐसे बड़े निर्माताओं से खरीद की कम लागत से प्राप्त लाभ को खंड 7(2) द्वारा समायोजित करने का प्रयास किया गया है। यह केंद्र सरकार का काम है कि वह उस शर्त को लागू करे और फॉर्मूलेटर द्वारा प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, को वसूल करे तथा निधि को जमा करे। यदि ऐसी संभावना सही और वैध है, तो बल्क औषधि निर्माता को एक बार फिर से बोझ उठाने का प्रश्न न केवल तर्क को चुनौती देता है, बल्कि जुर्माना और कर लगाने के समान है, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं करता है।

12. परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों के गुणागुण पर विचार करने से पहले, डीपीसीओ, 1970 की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करना आवश्यक होगा। इसके प्रासंगिक उपबंधों नीचे उद्धृत हैं:

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979

XXXXX

XXXXX

XXXXX

2. परिभाषाएँ- इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "बल्क औषधि" का अर्थ है भेषजिक, रासायनिक, जैविक या पादप उत्पाद या औषधीय गैस सहित कोई भी पदार्थ जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अंतर्गत स्वीकृत फार्माकोपियल या अन्य मानकों के अनुरूप है, जिसका उपयोग इस रूप में या किसी भी फॉर्मूलेशन में एक घटक के रूप में किया जाता है;

XXXXX

XXXXX

XXXXX

(ग) "वितरक" का तात्पर्य औषधियों के वितरक या उसके एजेंट या किसी निर्माता या आयातक द्वारा किसी डीलर को पुनः बिक्री के लिए औषधियों का भंडारण करने के लिए नियुक्त स्टॉकिस्ट से है;

XXXXX

XXXXX

XXXXX

(न) किसी बल्क औषधि के संबंध में "प्रतिधारण मूल्य" से पैरा 4 और 7 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य [जो अधिकतम प्रतिधारण मूल्य होगा] ऐसी बल्क औषधियों के व्यक्तिगत निर्माताओं, या आयातकों, या वितरकों के लिए अभिप्रेत है;

XXXXX

XXXXX

XXXXX

3. प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वदेश निर्मित बल्क औषधियों का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने की शक्ति:-

1) सरकार, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी स्वदेश निर्मित बल्क औषधि के न्यायसंगत वितरण को विनियमित करने और उसे उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा उपपैरा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा वह ठीक समझे, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा वह अधिकतम मूल्य नियत कर सकेगी, जिस पर ऐसी बल्क औषधि बेची जाएगी।

2) उप-पैरा (1) के अंतर्गत किसी बल्क औषधि का मूल्य निर्धारित करते समय सरकार किसी कुशल निर्माता द्वारा निर्मित ऐसी बल्क औषधि के उत्पादन की औसत लागत को ध्यान में

रख सकती है तथा निवल मूल्य पर उचित प्रतिफल की अनुमति दे सकती है।

XXXXX

XXXXX

XXXXX

4. प्रतिधारण मूल्य और सामान्य विक्रय मूल्य तय करने की शक्ति - पैराग्राफ 3 में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, यदि वह प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी स्वदेशी रूप से निर्मित बल्क औषधि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, [आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा]:-

(क) ऐसी बल्क औषधि का प्रतिधारण मूल्य नियत करेगी;

(ख) खंड (क) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिधारण मूल्य के भारत औसत को ध्यान में रखते हुए ऐसी बल्क औषधि के लिए एक सामान्य विक्रय मूल्य नियत करेगी :

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

7. प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट स्वदेशी रूप से निर्मित तथा आयातित बल्क औषधियों के विक्रय के लिए प्रतिधारण मूल्य और पूलित मूल्य निर्धारित करने की शक्ति -

(1) जहाँ प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई बल्क औषधि स्वदेश में विनिर्मित की जाती है और आयातित भी की जाती है, वहाँ सरकार स्वदेश में विनिर्मित बल्क औषधियों और आयातित थोक औषधियों के संबंध में समय-समय पर प्रचलित विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, ऐसे समायोजनों के साथ, जिन्हें सरकार आवश्यक समझे,-

(क) ऐसी बल्क औषधियों के व्यक्तिगत निर्माताओं, आयातकों या वितरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य नियत करेगी;

(ख) ऐसी बल्क औषधियों के विक्रय के लिए एक पुलित मूल्य नियत करेगी।

(2) जहाँ कोई निर्माता अपने निर्माताओं से, अपने स्वयं के फॉर्मूलेशन से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त निर्माताओं से, अपने निर्माताओं और बल्क औषधियों का उपयोग करता है, और ऐसी बल्क औषधि का मूल्य उसके निर्माताओं के मूल्य में उसे दिए गए मूल्य से कम है, वहाँ सरकार ऐसे निर्माता से यह अपेक्षा करेगी कि-

(क) पैराग्राफ 17 में निर्दिष्ट औषधि मूल्य समकारी खाते में सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अतिरिक्त राशि जमा करे; या

(ख) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर फॉर्मूलेशन को बेचे।

XXXXX

XXXX

XXXXX

17. औषधि मूल्य समकारी खाता - (1) सरकार एक खाता बनाए रखेगी जिसे औषधि मूल्य समकारी खाता के नाम से जाना जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएँगे-

(क) निर्माता, आयातक या वितरक द्वारा, जैसा भी मामला हो-

(i) पैरा 7 के उपपैरा (2) के अंतर्गत निर्धारित राशि;

(ii) सामान्य विक्रय मूल्य या, जैसा भी मामला हो, पुलित मूल्य का उसके प्रतिधारण मूल्य से अधिक होना; तथा

(ख) ऐसी अन्य धनराशियाँ जो केंद्र सरकार, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, समय-समय पर प्रदान करे।

(2) उप-पैरा (1) के अंतर्गत जमा की गई राशि केवल निम्नलिखित पर खर्च की जाएगी:-

(क) निर्माता, आयातक या वितरक को, जैसा भी मामला हो, उसके प्रतिधारण मूल्य और सामान्य विक्रय मूल्य या, जैसा भी मामला हो, औषधियों का उत्पादन बढ़ाने या उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए पूलित मूल्य के बीच की कमी का भुगतान करे;

(ख) इस पैराग्राफ के अंतर्गत कार्यों के निर्वहन में सरकार द्वारा किए गए व्यय के लिए।

(3) प्रत्येक निर्माता, आयातक या वितरक, यदि उसका उप-पैरा (2) के खंड (क) के अधीन कोई दावा है, तो सरकार को आवेदन कर सकेगा और सरकार दावे का निपटारा करने में, यथास्थिति, निर्माता, आयातक या वितरक से ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

(4) सरकार औषधि मूल्य समकारी खाते में जमा की गई तथा उसमें से व्यय की गई सभी धनराशियों का लेखा रखेगी तथा उक्त खाते से संबंधित अन्य ऐसी रिपोर्ट्स और विवरणियाँ रखेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

XXXXX

XXXXX

XXXXX

13. केंद्र सरकार ने 02.04.1979 को स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूलित मूल्य 475 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया। इसके साथ ही, प्रत्यर्थीगण के मामले में प्रतिधारण मूल्य 449.71 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया। अन्य निर्माताओं के लिए यह 498 रुपये निर्धारित किया गया। प्रत्यर्थीगण का दावा है कि उसने 01.07.1979 से सभी स्ट्रेप्टोमाइसिन को सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण मूल्य स्तर पर अंबालाल साराभाई के एक प्रभाग मैसर्स साराभाई केमिकल्स को बेचना शुरू कर दिया था। एकमात्र क्रेता ने फॉर्मूलेशन का निर्माण किया और उन्हें बेचा। 10.06.1980 को केंद्र सरकार ने प्रत्यर्थी को प्रतिधारण मूल्य निर्धारण के बाद प्रत्यर्थी द्वारा बेची गई स्ट्रेप्टोमाइसिन की संपूर्ण उत्पादन पर 25.29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गणना की गई राशि को समकारी खाते में जमा करने के लिए कहा। प्रत्यर्थीगण ने प्रतिवाद दिया कि वास्तव में उन्होंने मूल्य से अधिक कोई राशि नहीं वसूली है तथा अंतर की राशि वसूलने की माँग मनमाना एवं अनुचित है। 06.10.1980 से, केंद्र सरकार ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए प्रत्यर्थीगण के प्रतिधारण मूल्य को घटाकर 429 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया और साथ ही पूलित मूल्य को बढ़ाकर 660 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। इसी प्रकार अन्य निर्माताओं के लिए उत्पाद का प्रतिधारण मूल्य बढ़ाकर 660.75 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया। केंद्र सरकार ने आग्रह किया कि प्रत्यर्थीगण को 06.10.1980 तक की अवधि के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को पूलित मूल्य पर 475/- रुपये प्रति किलोग्राम तथा

उसके बाद 660.75/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना था और ऐसा न करने तथा इसे कम मूल्य पर बेचने के कारण वह अंतर की राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

14. विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक पहलू पर निष्कर्ष निकाला है, जिसका इस मामले के गुणागुण पर चर्चा पर प्रभाव पड़ता है, कि प्रत्यर्थीगण ने प्रकटीकरण किया है कि इसकी 52% शेयर पूँजी करमचंद प्रेमचंद प्राइवेट लिमिटेड (केपीपीएल) के पास है और शेष ई.आर. स्क्विब एंड संस इंक, एक अमेरिकी कंपनी के पास है। अतः, प्रत्यर्थी उन दो समूहों का एक संयुक्त उद्यम था। 1978 में केपीपीएल ने अपनी शेयरधारिता मैसर्स अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज़ को बेच दी। विद्वान न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए शपथपत्रों और दस्तावेज़ी साक्ष्यों के आधार पर अभिनिर्धारित किया कि यह एक अलग और पृथक कॉर्पोरेट इकाई है, और इसलिए, इसका मैसर्स अंबालाल साराभाई ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के साथ संबंध नहीं कहा जा सकता।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश ने डीपीसीओ की योजना पर गौर करने के बाद अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थीगण के इस प्रतिविरोध में गुणागुण है कि प्रतिधारण मूल्य और पूलित मूल्य के बीच के अंतर को पूरा करने का कोई दायित्व उस पर नहीं डाला गया था। एक बार जब यह स्थापित हो गया कि उसने औषधि को प्रतिधारण मूल्य से अधिक पर नहीं बेचा था, तो एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि केंद्र सरकार डीपीसीओ की

सहायता ले सकती थी और फॉर्मूलेटर मैसर्स अंबालाल साराभाई से खंड 7(2) के अनुसार अंतर की राशि वसूल सकती थी। ऐसा न करने पर, प्रत्यर्थागण से, अपने आप से, कमी की वसूली नहीं की जा सकती थी।

16. खंड 7 (2) की स्पष्ट भाषा में फॉर्मूलेटर पर पूलित मूल्य और बल्क औषधि के मूल्य के बीच अंतर को पूरा करने का दायित्व डाला गया है, जहाँ भी वह इसे पूलित मूल्य से कम दर पर खरीदता है (जिसका अर्थ है "उसके फॉर्मूलेशन के मूल्य में उसे दिया जाने वाला मूल्य"), मुख्य इनपुट के मूल्य के लिए एक स्पष्ट संकेत है, अर्थात् बल्क औषधि, जिसे फॉर्मूलेटर ने पूलित मूल्य से कम पर - या तो प्रतिधारण मूल्य (बल्क औषधि निर्माता के लिए निर्धारित) या उससे कम मूल्य पर खरीदा होगा। यह इन शर्तों से स्पष्ट है कि "जहाँ एक फॉर्मूलेशन का निर्माता अपने फॉर्मूलेशन्स और बल्क औषधि में उपयोग करता है", या तो अपने स्वयं के उत्पादन से या किसी अन्य स्रोत से उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, जब बल्क औषधि का मूल्य "उसके फॉर्मूलेशन के मूल्य में उसे दिए गए मूल्य" से कम होता है, तो उस फॉर्मूलेशन निर्माता, या फॉर्मूलेटर को "सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली अतिरिक्त राशि को पैराग्राफ 17 में संदर्भित औषधि मूल्य समकारी खाते में जमा करना होगा" (खंड 7 (2) (क))। अन्य आकस्मिकता (खंड 7 (2) (ख)) वह है जहाँ फॉर्मूलेटर को, "फॉर्मूलेशन्स को ऐसे मूल्यों पर बेचना है जो सरकार द्वारा तय किए जा सकते हैं।" यह वही बात थी जो एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश में कही थी, जब उन्होंने पाया

कि यदि कोई दायित्व या कर्तव्य है तो वह फॉर्मूलेटर पर दो मूल्यों के बीच के अंतर को औषधि मूल्य समकारी खाते में जमा करने या भुगतान करने के लिए लगाया गया था, ताकि उसे प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ की भरपाई की जा सके। यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष न्यायोचित हैं।

17. जहाँ तक खंड 17 का संबंध है, इस न्यायालय की राय है कि यह स्वतंत्र रूप से कोई दायित्व स्थापित या निर्मित नहीं करता है। यह कहा जा सकता है कि यह इस बात का वर्णन करता है कि निधि किससे बनी है, जब यह दो स्रोतों का उल्लेख करता है - उप खंड (1)। खंड 7 (2) का संदर्भ स्पष्ट करता है कि यह फॉर्मूलेटर की ज़िम्मेदारी है - क्योंकि निर्माता का वह वर्ग है, जो अकेले बल्क औषधियों का उपयोग करता है, उसे निधि राशि में भुगतान करने की ज़िम्मेदारी दी गई है, ताकि बल्क औषधियों की खरीद के कारण उनके द्वारा प्राप्त किसी भी लाभ की भरपाई की जा सके, क्योंकि उनका मूल्य निर्धारित पूलित मूल्य से कम हैं। जहाँ तक खंड 17 (1) (ख) का प्रश्न है, यह न्यायालय केंद्र सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं है कि इससे बल्क औषधि निर्माता पर कोई दायित्व लागू होता है। इसका कारण स्पष्ट है। बल्क औषधि निर्माता पर कोष में कोई भी राशि जमा कराने का कोई प्राथमिक दायित्व नहीं है। खंड 7 (2) के अंतर्गत, *यह लाभ संभवतः फॉर्मूलेटर द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसे निर्धारित अंतर को निधि में जमा करने के लिए बाध्य करके भरपाई करने*

की माँग की जाती है। यदि वह दायित्व पूरा हो जाता है, तो बल्क औषधि निर्माता से, जिसने कोई अतिरिक्त राशि वसूल नहीं की है, कोष में कोई राशि जमा करने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता। कम से कम वर्तमान मामले की परिस्थितियों में ऐसा नहीं था और न ही हो सकता है कि डीपीसीओ में कोई ऐसा कर उपबंध हो जो सामान्य दायित्व निर्धारित करता हो। यदि ऐसा मामला है, तो विधिक तौर पर बल्क औषधि निर्माताओं पर ऐसी आय या लाभ पर कोई राशि चुकाने का कोई दायित्व नहीं है, जिसे उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में दक्षता के कारण, वे अपनी इकाइयों के संबंध में निर्धारित मूल्यों (प्रतिधारण मूल्य) पर बल्क औषधि बेचने में सक्षम थे। केंद्र सरकार न्यायालय से जो माँग कर रही है, वह उसके द्वारा तय या निर्धारित मूल्यों पर विक्रय करने के लिए जुर्माना माँगने की उसकी कार्रवाई है। इस संदर्भ में यह स्मरण करना उपयोगी होगा कि डीपीसीओ का खंड 3 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह “.....अधिकतम मूल्य जिस पर ऐसी बल्क औषधि बेची जाएगी” निर्धारित करे। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं है कि इस मामले में फॉर्मूलेटर प्रत्यर्थीगण से भिन्न व्यक्ति था।

18. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि अपील गुणागुण रहित है। परिणामस्वरूप, ले.पे.अ. सं. 976/2002 को जुर्मानों पर कोई आदेश दिए बिना खारिज किया जाता है।

एस. रवींद्र भट
(न्यायाधीश)

सुदर्शन कुमार मिश्रा
(न्यायाधीश)

7 नवंबर, 2013

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।